अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

जगदेव बनाम रूपा वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/250 (रूपनगढ)

रिनाव्ह 23/10/24

श्री रूपक शर्मा एडवोकेट

22.10.2024

जगदेव बनाम रूपा वगैरह (2024/250)

यह अपील श्री रूपक शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 131/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 23.10.2024 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

23.10.2024

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक श्री करणसिंह गुर्जर एडवोकेट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र बावत प्रकरण को रिलीज कर सुनवाई का अवसर दिये जाने बावत् पेश किया .

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र बावत प्रकरण को रिलीज कर सुनवाई का अवसर दिये जाने बावत् पेश कर निवेदन किया उक्त प्रकरण में तथ्यों कानूनी स्थिति एवं दस्तावेजों से न्यायालयों को अवगत करवाना चाहते है जिससे न्यायालय को सही वस्तुस्थिति से अवगत हो सके एवं एकतरफा में कोई आदेश न हो उभय पक्षकारान को सुनकर समुचित रूप से कार्यवाही हो सके अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सुनवाई हेतु अवसर दिया जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्थगन पर पूर्व में ही सुनवाई हो चुकी है, माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर विधिवत रूप से आदेश जारी किये जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सुनवाई हेतु अवसर चाहते है, जो न्यायहित में दिया जाना उचित है। अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सुनवाई हेतु अवसर दिया जाता है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को स्थगन प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1965 के तहत पेश किया गया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया दिनांक 07.10.2024 को प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन पारित कर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2024 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। यदि

लगातार....

राजस्व अपील प्राधिकारी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

जगदेव बनाम रूपा वगैरह

किस्म मुकदमा – 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या : 2024/250 (रूपनगढ)

नागौर... अपीलांट उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश से व्यथित है तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किये जाना चाहिए था। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील पेश की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य सद्भाविक कृषि भूमि संबंधी वाद विद्यमान है। उभयपक्षों के हक अधिकार तो वाद निस्तारण के बाद ही तय होंगे। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned with CamScanner